राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3 महात्मा गांधी नरेगा)

बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 21.03.2014

महात्मा गांधी नरेगा योजना की अलवर जिले की समीक्षा हेतु आयुक्त नरेगा, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक उनके कक्ष में दिनांक 21.03.2014 को आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :–

1.	श्री देवराज	वित्तीय सलाहकार, नरेगा
2.	श्री मुकेश विजय	अधिशाषी अभियन्ता, नरेगा
3.	श्री अमरचन्द मीणा	अधिशाषी अभियन्ता, नरेगा अलवर
4.	श्री रमेश गुप्ता	लेखाधिकारी, नरेगा अलवर
5.	श्री जसवन्त सैनी	एम.आई.एस. मैनेजर, अलवर

बैठक में अलवर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना की समीक्षा के संबन्ध में चर्चा के बिन्दु तथा उन पर की गयी/की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार है :–

- योजनान्तर्गत दिनांक 13, 20 एवं 27 मार्च, 2014 को आयोजित किये जाने वाले रोजगार दिवसों के आयोजन के संबन्ध में सूचना उपलब्ध नही थी। इसी प्रकार दिनांक 13 मई, 2014 को आयोजित किये गये रोजगार दिवस के दौरान जिन ग्राम पंचायतों में कोई भी रोजगार आवेदन प्राप्त नही किये गये, की समीक्षा उचित प्रकार से नही की गयी। इस संबन्ध में आयुक्त, ईजीएस द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि भविष्य में बैठक में भाग लेते समय सम्पूर्ण सूचना के साथ उपस्थित रहे। साथ ही आयोजित किये जाने वाले रोजगार दिवसों की प्रगति विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप समय पर भेजे जाने के निर्देश दिए गए।

- जिले में मानव दिवस सृजन में पिछले वर्षों से लगातार कमी हुई है, परन्तु जिले में योजना की उचित प्रकार से समीक्षा नही की गई एवं ना ही रोजगार सृजन में हो रही कमी के संबन्ध में कभी जानकारी प्राप्त की गयी। विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा के साथ औपचारिक रूप से बैठक का आयोजन नहीं किया गया है। इस संबन्ध में आयुक्त, ईजीएस द्वारा यह निर्देश दिए गए कि योजना के प्रभारी अधिकारी होने के नाते जिला स्तर पर कार्यरत अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस द्वारा नियमित रूप से विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी के साथ बैठक का आयोजन किया जाये एवं प्रगति की समीक्षा की जावे। विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित रहे। बिना पूर्व सूचना के बैठक में उपस्थित नही

होने की स्थिति में अधिशाषी अभियन्ता द्वारा इसकी सूचना अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा को दी जायेगी एवं उनके द्वारा संबन्धित के विरूद्व आवश्यक रूप से कार्यवाही की जावे।

- योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के संबन्ध में जानकारी प्राप्त किये जाने पर बताया गया कि जिले में लगभग 63 हजार व्यक्तिगत शौचालय की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। जिले में 2012 व्यक्तिगत शौचालय पूर्ण हो चुके है एवं 3872 शौचालय निर्माण का कार्य प्रगति पर है। जारी की गयी समस्त वित्तीय स्वीकृतियों की एम.आई.एस. पर एन्ट्री नही की गयी है, जिस पर आयुक्त ईजीएस द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। आयुक्त ईजीएस द्वारा जारी की गयी स्वीकृतियों को एम.आई.एस. पर अपलोड किये जाने तथा इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पंचायत समितियों को दिए गए लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण कराये जाने के निर्देश प्रदान किये। साथ ही इन कार्यों की समीक्षा कार्यक्रम अधिकारी सह विकास अधिकारी के साथ विशेष रूप से किये जाने के भी निर्देश दिए गए। इस संबन्ध में आयुक्त द्वारा यह भी कहा गया कि यदि कार्यक्रम अधिकारी सह विकास अधिकारी इन कार्यों में रूचि नही लेते है तो उनके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

- अधिशाषी अभियन्ता नरेगा अलवर द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत नियोजित कार्मिकों से अन्यत्र कार्य कराये जाने तथा कुछ कार्मिकों द्वारा कार्य में रूचि नही लिये जाने के कारण योजना की प्रगति बाधित हुई है। इस पर आयुक्त नरेगा द्वारा ऐसे कार्मिक जो कार्य में रूचि नही लेते है, के विरूद्व कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने के निर्देश अधिशाषी अभियन्ता नरेगा को दिए तथा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को अधिशाषी अभियन्ता नरेगा द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

- जिले में कुछ कार्यक्रम अधिकारी सह विकास अधिकारी के विरूद्व कारण बताओं नोटिस जारी किये जाने के पश्चात जवाब से संतुष्ट नहीं होने के कारण सी.सी.ए. 17 के तहत पत्रावली पर चार्जशीट जारी किये जाने के निर्णय के उपरान्त भी चार्जशीट जारी नही की गयी। ऐसे प्रकरण से प्रभावी कार्यवाही संभव नही हो पाती है। इस पर आयुक्त द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए गए कि निर्णय किये जाने के उपरान्त इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में पत्रावली पर स्पष्ट अंकित किया जावे अन्यथा उसके विरूद्व आवश्यक रूप से कार्यवाही की जावे।

- आयुक्त ईजीएस द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें योजनान्तर्गत व्यय शून्य या नगण्य होने की स्थिति में ग्राम पंचायत पर कार्यरत ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ठ लिपिक की सेवाएं अन्यत्र प्रयोग में ली जावे।

- जिले में टोल फ्री नम्बर 1800 1806 606 की वॉल पेन्टिंग के अलग–अलग पंचायत समितियों की कम से कम 20 फोटो मय ग्राम/पंचायत के नाम के विभाग को प्रेषित की जावे।
- जिले की 4 पंचायत समितियों रामगढ, लक्ष्मणगढ, मुण्डावर एवं उमरैण में किये गये प्रशासनिक व्यय की जांच श्री रमेश गुप्ता लेखाकार नरेगा स्वयं के द्वारा की जाकर रिपोर्ट दिनांक 09.04.2014 तक वित्तीय सलाहकार, ईजीएस को प्रेषित की जावे।
- बैठक के अन्त में आयुक्त ईजीएस द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए योजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु कार्ययोजना बनाये जाने के निर्देश दिए गए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

क्रमांक एफ 5(26)ग्रावि/नरेगा/समीक्षा/2013–14 **जयपुर, दिनांक :** 21 MAR 2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा।
3. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा समस्त राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा जयपुर/जोधपुर/बाडमेर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, नरेगा कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा समस्त राजस्थान।
8. कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा सह विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त।
9. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, ईजीएस

E:\MUKESH VIJAYJI\review\Minutes of meeting 21.03.2014.doc